न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
रसद अपील : 03/2023 (16/2015)
तारीख रजू : 14.09.2023 (30.05.2015) निर्णय दिनांक : 27.03.2024

उनवान

1. मैसर्स रमेश चन्द उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत भोजावास, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। .

– अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण, जयपुर
2. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, जयपुर

– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत क्लॉज–22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 बविरूद्ध आदेश दिनांक 06.05.2014 पारित द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 अन्तर्गत प्रकरण सं. 142/2012 सरकार बनाम मैसर्स रमेश चन्द्र शर्मा, जिसके द्वारा अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक .....

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 14.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 06.05.2014 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स रमेश चन्द्र शर्मा उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत भोजावास, तह0 कोटपूतली, जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत भोजावास, तह0 कोटपूतली, जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 में उचित मूल्य का दुकानदार है। अपीलार्थी पिछले कई वर्षों से उपभोक्ताओं एवं निरीक्षणकर्ताओं की पूर्ण सन्तुष्टि एवं बिना किसी शिकायत का अवसर दिये राशन सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है एवं अपीलार्थी के वितरण से किसी भी उपभोक्ता को या विभाग के अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं है। दिनांक 30.04.2012 को प्रत्यर्थी सं0 01 स्वयं द्वारा प्रवर्तन दल के साथ अपीलार्थी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल द्वारा सभी संबंधित रिकार्ड जांच हेतु जब्त किये गये तथा दोनों दुकानों के लिए (ग्राम पंचायत भोजावास एवं सरूण्ड) निरीक्षण पर्चा बनाये गये। उक्त निरीक्षण के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षण कोटपूतली ने जांच रिपोर्ट

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

दिनांक 03.05.2012 को प्रत्यर्थी सं0 01 को प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रत्यर्थी सं0 01 द्वारा निलंबन एवं कारण बताओं नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। प्रत्यर्थी सं0 01 द्वारा दिनांक 16.05.2012 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। अपीलार्थी द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांक 25.06.2012 को प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र को दिनांक 18.07. 2012 को बहाल किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कोटपूतली ने दिनांक 16.12.2013 को एक समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं0 01 को प्रस्तुत की गई जिसमें दोनों दुकानों की जांच पर 9 लीटर केरोसीन कम पाना, रिकार्ड के अनुसार गेंहू का कम पाना, एवं एपीएल आटे के 22 बैग कम होना बताया गया। समीक्षात्मक रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय रूप से प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुए उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनाक 06.05.2014 को दिया गया। प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.03.2015 द्वारा लगभग 10 माह बाद अपीलार्थी को उक्त विवादित निर्णय बाबत सूचित किया गया। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर उसके द्वारा दिनांक 10.03.2015 को विवादित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसे आदेश दिनांक 06.05.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनाक 12.03.2015 को उपलब्ध करायी गई। प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा विधि विरूद्ध, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, मनमाने रूप से, बदनियतिपूर्वक विवादित आदेश दिनांक 06 05.2014 पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकरण पत्र निरस्त किया गया है।

अन्त में अपीलार्थी ने निम्न बिन्दूओं के आाधार पर निवेदन किया कि निर्णय/आदेश दिनांक 06.05.2014 विधि विरूद्ध अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, मनमाने रूप से, बदनियतिपूर्वक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को सुनवाई का, साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं जांच रिपोर्ट की नकल नही देने व व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं देकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2014 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उसका प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद (जिला रसद अधिकारी) ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर श्री रमेश चन्द शर्मा द्वारा नोटिस का बिन्दुवार जवाब नहीं दिया जाकर केवल अनर्गल, सारहीन व तथ्यहीन बातो का विवेचन किया गया है। जिसका प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट, स्टॉक मूल्य सूची प्रदर्शन नहीं पाया गया तथा दुकान पर सरकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। दुकान पर स्टॉक में दर्ज राशन सामग्री तथा भौतिक सत्यापन में प्राप्त सामग्री में भारी अन्तर पाया गया। नियमानुसार एक दुकान का स्टॉक दूसरी दुकान पर नहीं रख सकते। भोजावास की उचित मूल्य दुकान पर भौतिक सत्यापन में 7.35 क्वि. गेहूं कम पाया गया, केरोसीन 1836 लीटर पाया गया, दूसरी दुकान सरूण्ड पर 38.41 क्वि. गेहूं कम पाया गया तथा 1845 लीटर केरोसीन कम पाया गया। एपीएल आटे के 22 बेग कम पाये गये, इस प्रकार दोनों दुकानों के स्टॉक को मिलाने पर केवीएसएस कोटपूतली के पत्र क्रंमाक 2518 दिनांक 03.05.2012 को शामिल करने पर 28.12 क्वि. गेहूं केरोसीन 9 लीटर, आटा 22 बेग कम पाया गया। उक्त अनियमिताओं के क्रम में डीलर को नोटिस जारी कर वास्ते जवाब हेतु तलब किया गया। डीलर ने अपने जवाब में औचित्यहीन तर्क पेश किये जो ना तो उचित है और ना ही संतोषप्रद है। डीलर के द्वारा आटा दुकान में खाली करते वक्त 5–7 थैलीया फट जाना बताया है लेकिन वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन पर 22 बैग आटे के कम पाये गये थे। पंचायत से रिकार्ड सत्यापन नहीं कराना डीलर द्वारा अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रकार डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब अनियमितताओं को छूपाने के लिए मनघडन्त एवं अतार्किक है और डीलर द्वारा केरोसीन, गेहूं व आटे में भारी अनियमितताऐं की गई है जो कालबाजारी करना साबित करती है। डीलर पर लगाये उपरोक्त समस्त आरोप उसके द्वारा किये गये गबन स्वतः सिद्ध होते है जो कि गंभीर किस्म की अनियमितता है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर सनवाई का समुचित अवसर देते हुये जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

7. अपीलार्थी का कथन है कि उसको बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिला रसद ग्रामीण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही संस्थित किये जाने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण के द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये है तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उचित समय दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा विधि विरूद्ध, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, मनमाने रूप से, बदनियतिपूर्वक विवादित आदेश दिनांक 06 05.2014 पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकरण पत्र निरस्त किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्व शिकायत की प्रतिरक्षा में कोई ठोस दस्तावेज ना तो जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये है और ना ही दौराने बहस प्रस्तुत किये है। इसलिए प्रार्थी के तर्को को बल नहीं मिलता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को सरे इजलास सुना गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़